

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला श्री

भवकाम बनाम.....

कारण संख्या...../

अन्तर्गत धारा.....

दिनांक आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज

पृष्ठ
नं०
पृष्ठ

11/22 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। अप्राची को पंजीकृत डाक से संगत गेले हुए 30 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। इसके बावजूद अप्राची उपस्थित नहीं। अप्राची को नुक-र कर उबार आवाज लगवाए गए कोई उपस्थित नहीं आया। अप्राची के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली वारंते बहस दिनांक 22/02/22 को पेश हो।

22/22 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु समय प्राप्त। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वारंते बहस दिनांक 09/03/22 को पेश हो।

9/22 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस हेतु समय प्राप्त। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बढ़ा जाती है। पत्रावली वारंते बहस दिनांक 21/03/22 को पेश हो।

सर्ची अधिवक्ता उपस्थित। एकपक्षीय
बलस हकी गरी पत्रावली का
अवलोकन किया गया। प्रमेवादी/असर्ची
के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के
आदेश हैं। लिखाना सर्ची का माथना
पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण
में जारी दिनांक 03/01/2020 की
अस्थायी निवेद्याता गुलवाड के निर्णय
तक स्थान की जाती है। पत्रावली
निर्णय लेकर नम्बर से काम लेकर
गुलवाड के साथ संलग्न रहे।



असर्ची (असर्ची)
श्री अशोक